भारत सरकार
विदेश मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 894
दिनांक 26.07.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

विदेश में पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्र

894. **श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालूः**
श्री शफी परम्बिलः
श्री जी. एम. हरीश बालयोगीः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययन करने वाले भारत के कुल छात्रों की देशवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश से भारतीय छात्रों के प्रवास के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार के पास विदेश में अध्ययन करने वाले छात्रों के कल्याण और इन विदेशों में उनकी कल्याण के लिए सहायता करने के लिए कोई योजना/परियोजना/पहल है;

(घ) यदि हां, तो ऐसी योजना/परियोजना/पहल के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और लाभार्थियों की कुल संख्या क्या है;

(ड.) क्या सरकार ने विदेश में अध्ययन करने वाले भारतीय छात्रों की सहायता के लिए कोई प्राधिकरण/हेल्पलाइन स्थापित करने पर विचार किया है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार ने विदेश में अध्ययन के लिए विदेश जाने वाले छात्रों की बढ़ती संख्या का ज्ञापन लिया है, यदि हां; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्ति वर्धन सिंह)

(क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, विदेशों में विश्वविद्यालयों और अन्य तृतीयक संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर

रहे भारतीय छात्रों की कुल संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	छात्रों की संख्या (मिलियन में)
2022	0.75
2023	0.93
2024	1.33

जनवरी 2024 तक विदेशों में अध्ययन कर रहे भारतीय छात्रों का देश–वार विवरण अनुबंध–'क' में दिया गया है।

(ख) से (च) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, विदेशों में अध्ययनरत भारतीय छात्रों से प्राप्त शिकायतों का देश–वार विवरण अनुबंध–'ख' में संलग्न है। विदेश में भारतीय छात्रों को सुरक्षा एवं संरक्षा प्रदान करना भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। विदेश स्थित भारतीय मिशन/केंद्र, विदेशी विश्वविद्यालयों में नामांकित भारतीय छात्रों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखते हैं। यह व्यवस्था विदेशी विश्वविद्यालयों में भारतीय छात्रों के नामांकन के साथ ही शुरू हो जाती है जब नामांकित छात्रों को विदेश स्थित भारतीय मिशन/केंद्रों द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। भारतीय मिशन/केंद्रों के प्रमुख अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित करते हैं और उन छात्रों को विदेशों में उनके प्रवास के दौरान आने वाली चुनौतियों और खतरों, यदि कोई हों, के बारे में जानकारी देते हैं और बताते हैं कि इन स्थितियों से बचने के लिए प्रतिक्रियात्मक उपाय कैसे किए जा सकते हैं। भारतीय मिशन/केंद्रों के प्रमुख और अन्य वरिष्ठ दूतावास अधिकारी भी भारतीय छात्रों और भारतीय छात्र संघों के साथ नियमित रूप से बातचीत करने के लिए अपने–अपने अधिकार क्षेत्र वाले देशों में विदेशी विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों का दौरा करते हैं।

विदेश स्थित भारतीय मिशन/केंद्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों को अपने यहां तथा मदद पोर्टल पर पंजीकरण कराने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ताकि उनकी शिकायतों तथा लंबित मुद्दों का समयबद्ध तरीके से समाधान किया जा सके। विदेश स्थित भारतीय मिशन/केंद्र भारतीय छात्रों को नियमित आधार पर संपर्क में रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तथा उनके समक्ष लंबित मुद्दों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। छात्रों की शिकायतों का टेलीफोन कॉल, वॉक–इन, ईमेल, सोशल मीडिया, 24x7 आपातकालीन हेल्पलाइन, ओपन हाउस तथा मदद पोर्टल के माध्यम से लगभग वास्तविक समय आधार पर

समाधान किया जाता है। विदेश स्थित भारतीय छात्रों से प्राप्त किसी भी शिकायत को अपेक्षित कार्रवाई के लिए संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान तथा मेजबान सरकार, जैसा भी मामला हो, के समक्ष उठाया जाता है।

विदेश में भारतीय मिशन/केंद्रों द्वारा अप्रिय घटनाओं के मामलों को तुरंत मेजबान देश के संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष उठाया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी उचित जांच की जाए और अपराधियों को दंडित किया जाए। आपात स्थिति या संकट की स्थिति के दौरान, विदेश में भारतीय मिशन/केंद्र संकटग्रस्त/फंसे हुए भारतीय छात्रों को भोजन, आश्रय, दवाइयाँ प्रदान करके सक्रिय रूप से मदद करते हैं और जल्द से जल्द उनकी भारत वापसी/निकासी सुनिश्चित करते हैं। हाल ही में वंदे भारत मिशन, ऑपरेशन गंगा और ऑपरेशन अजय के माध्यम से दुनिया भर के देशों से फंसे हुए भारतीय छात्रों को भारत लाया गया।

हालांकि कुछ भारतीय नागरिक विभिन्न उद्देश्यों के लिए विदेशों में चले गए हैं, सरकार इस वास्तविकता को समझती है कि अब पूरा विश्व एक कार्यस्थल बन गया है। अतः भारत सरकार ने भारतीय प्रवासियों के साथ अपने संबंधों में परिवर्तनकारी बदलाव शुरू किए है। एक सफल, समृद्ध और प्रभावशाली प्रवासी समुदाय को भारत के लिए एक परिसंपत्ति के रूप में देखा गया है। सरकार के प्रयासों का उद्देश्य भारत के विकास एवं प्रगति के लिए भारतीय प्रवासियों की क्षमता का उपयोग करना भी है।

अनुबंध क

01.01.2024 तक विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे भारतीय छात्रों की संख्या

क्र. सं.	देश	विश्वविद्यालयों/तृतीयक संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या
1.	कनाडा	427000
2.	संयुक्त राज्य अमेरिका	337630
3.	यूनाइटेड किंगडम	185000
4.	ऑस्ट्रेलिया	122202
5.	जर्मनी	42997
6.	संयुक्त अरब अमीरात	25000
7.	रूस	24940
8.	किर्गिज़स्तान	16500
9.	जॉर्जिया	16093
10.	कजाखस्तान	9785
11.	फिलिपींस	9665
12.	फ्रांस	9500
13.	चीन (हांगकांग सहित)	8580
14.	बांग्लादेश	8534
15.	न्यूज़ीलैंड	7300
16.	आयरलैंड	7000
17.	इटली	6017
18.	साइप्रस	4352
19.	उज़्बेकिस्तान	4100
20.	मलेशिया	4029
21.	पोलैंड	4000
22.	नीदरलैंड	3504
23.	मॉरीशस	3216
24.	चीन (ताइवान गणराज्य)	3029
25.	आर्मेनिया	3000
26.	लातविया	2750
27.	फिनलैंड	2645

28.	यूक्रेन	2510
29.	नेपाल	2134
30.	सिंगापुर	2000
31.	स्विट्ज़रलैंड	1991
32.	कोरिया गणराज्य	1985
33.	चेक गणराज्य	1815
34.	जापान	1532
35.	स्वीडन	1500
36.	ताजिकिस्तान	1350
37.	स्पेन	1259
38.	पुर्तगाल	1139
39.	हंगरी	1098
40.	मिस्र	1049
41.	लिथुआनिया	1029
42.	ईरान	1020
43.	बेल्जियम	970
44.	इजराइल	900
45.	सऊदी अरब	891
46.	मोलदोवा	847
47.	बेलारूस	839
48.	माल्टा	600
49.	ओमान	600
50.	केन्या	550
51.	डेनमार्क	509
52.	सर्बिया	500
53.	नॉर्वे	484
54.	बुल्गारिया	466
55.	ऑस्ट्रिया एवं मोंटेनेग्रो और होली सी	450
56.	अज़रबैजान	450
57.	थाईलैंड	413
58.	बहरीन	406

59.	गुयाना	400
60.	दक्षिण अफ्रीका	387
61.	तुर्किये	327
62.	सूरीनाम	250
63.	एंटीगुआ और बारबुडा	240
64.	कतर	209
65.	जमैका	200
66.	स्लोवाकिया	180
67.	स्लोवेनिया	157
68.	रोमानिया	126
69.	लक्ज़मबर्ग	125
70.	एस्तोनिया	119
71.	वियतनाम	93
72.	श्रीलंका	65
73.	अल्बानिया	63
74.	जाम्बिया	50
75.	बेलीज़	43
76.	लेबनान	39
77.	सेंट किट्स एवं नेविस	35
78.	बोत्सवाना	34
79.	चिली	32
80.	तंजानिया	28
81.	आइसलैंड	23
82.	बोस्निया और हर्जेगोविना	22
83.	ब्रुनेई	20
84.	क्रोएशिया	20
85.	मलावी	14
86.	पाकिस्तान	14
87.	सेशल्स	14
88.	ब्राज़ील	8
89.	कोस्टा रिका	8

90.	यूनान	8
91.	इंडोनेशिया	6
92.	मंगोलिया	4
93.	अर्जेंटीना	3
94.	लिकटेंस्टाइन	2
95.	मैसेडोनिया	2
96.	भूटान	1
97.	कोलंबिया	1
98.	क्यूबा	1
99.	ग्वाटेमाला	1
100.	नामीबिया	1
101.	त्रिनिदाद एवं टोबैगो	1
कुल		1335030

अनुबंध ख

क्र.सं.	देश	छात्रों से प्राप्त शिकायतों की संख्या
1	ऑस्ट्रेलिया	33
2	बांग्लादेश	75
3	बेल्जियम	10
4	बुल्गारिया	5
5	कनाडा	72
6	क्रोएशिया	1
7	चेक गणराज्य	5
8	फ्रांस	780
9	जर्मनी	299
10	गुयाना	1
11	ईरान	2
12	आयरलैंड	7
१३	इटली	27
14	जापान	1
15	कजाखस्तान	200
16	किर्गिज़स्तान	70
17	मॉरीशस	25
18	मेक्सिको	2
19	न्यूज़ीलैंड	2
20	रूस	233
21	सिंगापुर	85
22	स्लोवेनिया	12
23	स्पेन	275
24	सूरीनाम	2
25	स्विट्ज़रलैंड	1
26	ताइवान	4
27	तुर्किये	01

28	यूके	316
29	यूएसए	155
30	उज़्बेकिस्तान	85
	कुल	2786

*****